REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.719]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941No.719]NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987;
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016:

परंतु ऐसी सुस्ती,-

 (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

For office use only

Payment detail

Eligible balance in Account ₹	
Less Penalty amount ₹	
Total Amount to be paid ₹	(In figures)
(In words)	
Date Stamp	Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by account holder/ messenger)				
Received Rs	(In ±	figures)	(in words) By cash/cheque/DD bearing	
No.)	dated	/by transfer	to Account	
No				

Date:

Place :

Signature/thumb impression of account holder /guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 916(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873, (1873 का 5) की धारा 3क और धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम में खाता अभिनिर्धारित है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(च) "वर्ष" से खाता में निक्षेप की तारीख से प्रारंभ होने वाले बारह माह की अवधि अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं वे अर्थ होंगे जो इस अधिनियम और साधारण नियमों में उनके हैं ।

3. खाता खोलना- (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करते हुए लेखा कार्यालय में प्ररूप-1 में आवेदन करके खाता खोल सकेगा, अर्थात्:-

(i) जिन्होंने खाता खोलने की तारीख को साठ वर्ष की आयु प्राप्त की है;

(ii) जिन्होंने पचपन वर्ष या उससे अधिक किंतु साठ वर्ष से अनधिक की आयु प्राप्त की है और जो इस स्कीम के अधीन खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षिता या अन्यथा की तारीख को सेवानिवृत्त हो गया है इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सेवानवृत्ति फायदे की तारीख के एक मास के भीतर ऐसे व्यष्टि जिसके द्वारा खाता खुलवाया गया है और अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्त होने, नियोजन होने के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए नियोजक का एक प्रमाणपत्र के साथ-साथ ऐसे सेवानिवृत्ति फायदा (फायदे) के वितरण का सबूत और नियोजक के पास ऐसे नियोजन की अवधि आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न है : परंतु रक्षा सेवा (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) के सेवानिवृत्त कार्मिक अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए पात्र होंगे ।

(2) सेवारत मृत कार्मिक के उत्तराधिकारी या विधिक वारिस इस स्कीम के अधीन ऐसे मृत कार्मिक के सेवांत प्रसुविधा निक्षेप करने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(3) खाता धारक एक साथ सभी खाता में निक्षेप पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अनधिक नहीं होगा, के अधीन रहते हुए इस स्कीम के अधीन एक से अधिक खाता खुलवा सकेगा ।

(4) व्यष्टिक हैसियत या पति-पत्नी संयुक्त रूप से खाता खोल सकेंगे ।

(5) संयुक्त खाता की दशा में प्रथम खाता धारक की आयु जहां खाता खुलवाने के लिए पात्रता अवधारित करने पर विचार किया जाएगा वहां द्वितीय आवेदक के लिए आयुसीमा नहीं होगी ।

(6) संयुक्त खाता निक्षेप करने की संपूर्ण रकम केवल प्रथम खाता धारक से निक्षेप किया गया जाएगा ।

(7) पति-पत्नी दोनों एकल खाता और संयुक्त खाते में से प्रत्येक खाते में से पन्द्रह लाख रुपए तक अधिकतम एक दूसरे के खाते में निक्षेप कर सकेंगे परंतु दोनों खाता खोलने के लिए व्यक्तिगत रूप से पात्र हों ।

4. निक्षेप- (1) एक हजार रुपए या पांच लाख रुपए से अन्यून एक हजार रुपए के बहुगणक कोई राशि न्यूनतम निक्षेप के साथ खाता खोला जाएगा :

परंतु पैरा 3 के उपपैरा (1) के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट खाते में जमा राशियां प्राप्त सेवानिवृत्ति फायदे या पंद्रह लाख रुपए, जो भी इनमें से निम्नतर हो, निर्बन्धित होगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए, "सेवानिवृत्ति फायदे" से अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्ति के कारण खाता धारक के मद्दे कोई संदाय अभिप्रेत है और जिसमें भविष्य निधि देय, सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता उपदान, पेंशन का संराशित मूल्य, कुटुंब पेंशन स्कीम और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह पूर्वक संदाय के अधीन सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति-सहनिकासी प्रसुविधा पर नियोजक द्वारा संदेय समूह व्यावृत्ति लिंक इंश्योरेंस स्कीम के कर्मचारी व्यावृत्ति तत्व भी सम्मिलित है।

(2) खाते में केवल एक कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह पूर्वक संदाय के अधीन सेवानिवृति, सेवानिवृत्त-सह-निकासी प्रसुविधा पर नियोजक द्वारा संदाय समूह व्यावृत्ति लिंक इंश्योरेंस स्कीम के ही निक्षेप हो ।

(3) उपपैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से आधिक्य राशि निक्षेप लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे तत्काल रूप से खाता धारक को आधिक्य राशि वापस करेगा ।

5. निक्षेप पर ब्याज- (1) इस स्कीम के अधीन किए गए निक्षेप पर 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलेगा ।

(2) ब्याज प्रथम किस्त में, यथास्थिति, अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के प्रथम कार्यदिवस को 31 मार्च/30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर से निक्षेप करने की तारीख से संदेय होगा और तत्पश्चात् ब्याज, यथास्थिति, अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के प्रथम कार्यदिवस को संदेय होगा ।

(3) यदि खाता धारक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उपपैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट शेष तारीखों पर संदेय ब्याज, लेखा धारक व्यावृत्ति खाता से जमा होगा ।

(4) यदि किसी खाता धारक द्वारा प्रत्येक तिमाही में संदेय ब्याज का दावा नहीं किया जाएगा तो ऐसा ब्याज अर्जित अतिरिक्त ब्याज नहीं होगा ।

(5) रुपए का भाग में ब्याज की कोई रकम न्यूनतम रुपए का गुणक होगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की कोई रकम एक रुपए माना जाएगा और पचास पैसे में अनधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(6) पैरा 4 के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट आधिक्य रकम डाक घर व्यावृत्ति रकम के समय-समय पर लागू ब्याज वहन करेगा औरे ऐसे और ऐसे ब्याज वापसी की तारीख से आधिक्य रकम के निक्षेप की तारीख से संदेय होगा ।

(7) पैरा 8 के उपपैरा (1) के अधीन परिपक्वता के पश्चात् विस्तारित रकम के मामले में, ऐसे खाता में निक्षेप परिपक्वता की तारीख को स्कीम से लागू दर पर अर्जित ब्याज होगा । (8) डाकघर बचत खाता को लागू दर पर ब्याज उस खाता पर निक्षेप को संदेय होगा जो पैरा 8 के या परिपक्वता को बंद या विस्तारित परिपक्वता के अनुसार विस्तारित नहीं है ।

(9) तिमाही से अन्यून किसी अवधि के लिए ब्याज (स्कीम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट) को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा ।

<u> दिनों की संख्या अवधि में x तिमाही के लिए ब्याज</u>

तिमाही के दिनों की कुल संख्या

(10) यदि ब्याज का नियत तारीख को दावा नहीं किया गया है तो नियत तारीख के पश्चात् किसी भी तारीख को दावा करा सकता है ।

6. खाता को समयपूर्व बंद करना- (1) खाता धारक निक्षेप को वापस ले सकेगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्ररूप-2 के आवेदन पर किसी भी समय खाता बंद कर सकेगा, अर्थात्:-

(i) यदि, खाता खोलने की तारीख के पश्चात् एक वर्ष पहले बंद करा देता है तो खाता में निक्षेप पर संदत्त व्याज निक्षेप से वसूल कर लिया जाएगा और अतिशेष खाता धारक को संदाय कर दिया जाएगा ।

(ii) यदि, खाता एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बंद करा देता है किंतु उसके खोलन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले बंद करा देता है तो निक्षेप के डेढ़ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जाएगी और अतिशेष खाता धारक को संदाय किया जाएगा ।

(iii) यदि, खाता उसके खोलने की तारख से दो वर्ष की समाप्ति को या उसके पश्चात् बंद करा देता है तो निक्षेप के एक प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जाएगा और अतिशेष खाता धारक को संदाय किया जाएगा ।

(2) पैरा 8 के उपपैरा (1) के अधीन खाता विस्तार करने की सुविधा का उपभोग करने वाला खाता धारक किसी कटौती के बना खाता विस्तार करने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् किसी भी तारीख को निक्षेप वापस ले सकेगा और खाता बंद करा सकेगा ।

(3) यदि, समयपूर्व बंद कराने, निक्षेप पर ब्याज उपपैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के कटौती के पश्चात् समयपूर्व बंद कराने की पूर्ववर्ती तारीख तक संदाय किया जाएगा ।

(4) खाता से बहुगुणित वापस लेना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

7. खाता बंद कराना- (1) खाता खोलने के समय किया गया निक्षेप प्ररूप-3 में आवेदन पर खाता खुलवाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति को या उसके पश्चात् या आठ वर्ष की समाप्ति को संदाय किया जाएगा जहां खाता पैरा 8 के अधीन विस्तार किया गया था ।

(2) परिपक्वता या विस्तारित परिपक्वता से पहले खाता धारक की मृत्यु की दशा में खाता धारक की मृत्यु की तारीख तक, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वापिस से इस स्कीम से यथा लागू ब्याज के साथ प्ररूप-3 में आवेदन पर बंद कराएगा और निक्षेप का प्रतिदाय होगा :

यह कि परंतु खाता में निक्षेप पर ब्याज खाता के अंतिम रूप से बंद करने की तारीख तक खाता धारक की मृत्यु की तारीख से डाकघर बचत खाता पर लागू दर पर अर्जित ब्याज होगा :

परंतु यह और कि संयुक्त खाता की दशा में या जहां पति-पत्नी एकमात्र एक दूसरे के नामनिर्देशिती हैं वहां पति-पत्नी इस स्कीम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर खाता निरंतर रख सकेंगे, यदि खाता धारक की मृत्यु की तारीख को स्कीम के अधीन पति-पत्नी पात्रता की शर्तें पूरी करते हों ।

(3) जहां इस स्कीम के अधीन पति-पत्नी दोनों ने अलग-अलग खाता या खाते खुलवाएं हों और दोनों में से किसी की ऐसे खाता या खातों के प्रचलन के दौरान मृत्यु हो जाती है तब मृतक खाता धारक के नाम में प्रचलित खाता या खाते उपपैरा (2) के प्रथम परंतुक के अनुसार निरंतर नहीं रहेगी और उसे बंद कर दिया जाएगा ।

8. परिपक्वता के पश्चात् विस्तारण- (1) खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्ररूप-4 में आवेदन करके तीन वर्ष की और अवधि के लिए खाता का विस्तारण करा सकेगा ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन खाता का विस्तारण आवेदन की तारीख पर विचार किए बिना परिपक्वता की तारीख से किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपपैरा (1) के अधीन खाता का विस्तारण एक बार उपलब्ध होगा ।

(4) खाता धारक पैरा 6 के उपपैरा (1) के अधीन किसी कटौती के बिना खाता के विस्तारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् खाता बंद करा सकेगा ।

9. साधारण नियमों का लागू होना- साधारण नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे मामले के संबंध में लागू होंगे जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

10. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि खाता धारक के असम्यक् कष्ट के कारण इस स्कीम में किसी उपबंध का प्रचालन उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से असंगत रीति में उस उपबंध की अपेक्षाएं शिथिल की जा सकेंगी ।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

आवेदक/आवेदकों का फोटो चिपकाएं

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररुप - 1 [पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखें] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में

पोस्टमास्टरप्रबंधक/

श्रीमान,

एक खात	मैं/हम 11 खोलने के लिए आवेदन करता हूं	(आवेदक/आवेदकों) आपके डाकघर/बैंक में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधीन /करते हैं ।
सं	तारीख द्व	मेंरुपये) नकद/चैक/डीडी रा निविदान करता हूं/करते हैं । मेरे/हमारी विशिष्टियां निम्नप्रकार हैं:-
1.		
	पति/पिता/माता या न्यायालय द्वा	रा नियुक्त संरक्षक का नाम
	जन्म तारीख	
		(तारीख / मास/वर्ष)
		(शब्दों में)
2.	द्वतीय खाताधारक (केवल पति-प	त्री के लिए
	पति/पिता/माता का नाम	
	जन्म तारीख	
		(तारीख/ मास/वर्ष)
		(शब्दों में)
3.	आधार संख्या	(क) प्रथम खाताधारक का
		(ख) द्वितीय खाता धारक

THE GAZETTE	OF INDIA :	EXTRAORDINARY
-------------	------------	---------------

4.	स्थायी खाता संख्या	(क) प्रथम खाताधारक का
		(ख) द्वितीय खाता धारक
5 3	वर्तमान पता	
0.		
	स्थायी पता	
6. र	संपर्क ब्यौरे	दूरभाष संख्या
		मोबाइल नं
		ई-मेल आई डी
7. र	खाते का प्रकार	एकल या संयुक्त या अवयस्क
8. र	खाता धारक/खाता धारकों के जन्म की त	ारीख
	9. संलग्न अन्य केवाइसी दस्तावेजों के ब्य	ौरे
	क. पहचान का सबूत	
	ख. जारी करने की तारीख	
	ग. जारी करने वाला प्राधिकारी	
2. चालन		म्नलिखित दस्तावेज विधिमान्य दस्तावजों के रुप में स्वीकृत होगें 1. पासपोर्ट राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जाब कार्ड 5. ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, जारी पत्र)
1. नमूना	हस्ताक्षर	
1	2	
(नाम	τ)	
		23
(नाम	τ)	

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं/हम भारत के नागरिक हूं/है और भविष्य में मेरा/हमारे निवास/नागरिकता में किसी परिवर्तन को लेखा अधिकारी को सूचित करने का वचन देता/देती/देते हूं/हैं।

मैं/हम स्कीम के उपबंधों और सरकारी वचत संवर्धन नियम, 2018 द्वारा उसके समय-समय पर जारी स्कीम और संशोधनों को लागू होने का पालन करने का वचन देता/देती/देते हैं।

स्कीम के अधीन मेरे/हमारे अन्य खाते के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	खाता खुलवाने की तारीख	निक्षेपित रकम	ग्राहक पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघर/बैंक का नाम
1.	वरिष्ठ नागरिक बचत सकीम (एससीएसएस)					

संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तारीख:....

नामनिर्देशन

क्रम सं.	नामनिर्देशिती(नामनिर्देशितियों) का(के) नाम और संबंध	पूरा पता	नामनिर्देशिती का आधार संख्या (वैकल्पिक)	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशिती की जन्म की तारीख	हिस्सा जिसके लिए हकदार होगा	हकदारी की प्रकृति न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

क्योंकि उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम सं.का (के) नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं अत: मैं/हम.....को (के) नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं अत:

1. साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम और पता………………………………………………

2. साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम और पता

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान		
	- .	

तारीख:....

डाकघर/बैंक के उपयोग के लिए

.....रुपये आरंभिक जमा के साथरुपये आरंभिक जमा के साथदारा खाता खोला गया है । उपभोक्ता पहचान संख्यादारा खाता

नामनिर्देशन, संख्या...... किया गया है । सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररुप - 2

[पैरा 6 का उपपैरा (1) देखें]

(समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक.....

.....

श्रीमान,

 मैं/हम वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खोले गए मेरे/हमारे खाता संख्या
 ______ जिसका अतिशेष ______ (रुपये______मात्र) हैं को समयपूर्व बंद कराना चाहता/चाहते हैं और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति को घटाने के पश्चात् रकम का संदाय करने का अनुरोध करता/करते हैं :-

कृपया._____(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्या _____में रकम जमा करें ।

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें ।

या

कृपया नगद संदाय करें (यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है)

3. मैंने/हमने यह घोषणा करता/करते हूं कि वे शर्तें जिसके अधीन खाता वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधीन परिपक्वता से पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, का अनुपालन कर लिया गया है। यथालागू अनिवार्य दस्तावेज निम्नानुसार संलग्नक हैं:--

1.

2.

तारीखः

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

संदाय के ब्यौरे

खाते में उपयुक्त अतिशेष	
घटाई गई शास्ति की रकम	
संदत्त किए जाने वाली कुल रकम `	(अंकों में)
(शब्दों में)	

तारीख मुद्रा डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण 4'
	निस्तारण पत्र
	(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)
(अंकों	में) (शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/ चैक/डीर्ड
	तारीख द्वारा खाता संख्या
	में अंतरित किए गए
तारीख: खात	धारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप – 3
	[पैरा 7 का उप-पैरा (1) देखें]
	(खाते को बंद करने के लिए आवेदन)
डाकघर/बैंक का नाम <u> </u>	तारीख
खाता संख्या	
1. मैं/हम पास बु	क/जमा रसीद प्रस्तुत कर/रहा हूं/रहे हैं और मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित खाते क
	_ पर परिपक्व होने पर बंद करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।
2. कपया मेरे	गरिपक्व खाते में से उपयुक्त अतिशेष(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित
	।में रकम जमा करें ।
~	या
कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वा	ले खाते में देय चेक जारी करें ।
5.1.11.11.1.2.1.2.11.11	या
काणा नगर गंटाग कों (गरि न	कम अनुज्ञेय सीमा से कम है, लागू होगा)
पृथ्या गगद तेवाय कर (याद र	भन अनुशय तामा त भन ह, लागू हागा)
	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(निक्षेपक के अंगूठे का निशान	उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)
	संदाय का आदेश
	(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)
	तारीख
	संदाय के ब्यौरे
मल रकम रुपयों में	
с ·	
(+)त्याज रूपयों में	
(')ञ्याण रथया म	
(-) अति संदत्त ब्याज की वसूली रूपयों में	

कटौती, यदि कोई हों, रुपयों में_____

[PART II—SEC. 3(i)]

कुल बकाया रकम रुपयों में	
0	

(शब्दों में) रुपये अदा करें (अंकों में)

तारीख

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण पत्र

(निक्षेपक द्वारा भरा जाए) में) (शब्दों में) रुपये (अंकों हुए/ नकद द्वारा प्राप्त तारीख चैक/डीडीसंख्या संख्या द्वारा खाता में अंतरित किए गए .

> तरीख खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्ररुप-	4
---------	---

[पैरा 8 का उपपैरा (1) देखें]

(खाते के विस्तारण के लिए आवेदन)

सेवा में.

डाकपालप्रबंधक/

.....

श्रीमान,

मैं/हम.....आपके कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधीन खाता संख्याके 1. जमाकर्ता हूं/हैं । उक्त खाता तारीखको खोला गया था और संदाय के लिए तारीखको परिपक्व हो चुका है/हो जाएगा । हम उपरोक्त कथित खाते की परिपक्वता की तारीख सेवर्ष(वर्षों) की और अवधि के लिए (स्कीम नियम के नियम के अनुसार) खाते का विस्तारण का अनुरोध करता हूं/करते हैं ।

मैंने/हमने समय-समय पर यथासंशोधित उक्त स्कीम के अधीन अवधि के विस्तारण के दौरान खाते पर लागू निबंधनों 2. और शार्तों को समझ लिया है और मैं उसका पालन करुंगा/करेंगे ।

स्थान:	
तारीख:	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
	(नाम और पता)
केवल कार्यालय प्रयोग के	 लिए
खाता सं(स्कीम का न जो गया था और तारीख	

......स्कीम केतकवर्षों की अवधि के लिए विस्तारण किया गया है ।

अभिलेखों और पासबुक और जमा रसीद/खाते के विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां की जा चुकी है । तारीखः डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुद्रा

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A and section 15 of the Government Savings Promotion Act,1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Scheme may be called the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

- (a) "account" means an account opened under this Scheme;
- (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
- (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and the General Rules.

3. Opening of account.- (1) An individual fulfilling the following conditions may open an account by making an application in Form-1 to the accounts office, namely:-

- (i) who has attained the age of sixty years on the date of opening of the account; or
- (ii) who has attained the age of fifty-five years or more but less than sixty years, and who has retired on superannuation or otherwise on the date of opening of an account under this Scheme, subject to the condition that the account is opened by such individual within one month of the date of receipt of the retirement benefits and proof of date of disbursal of such retirement benefit(s) along with a certificate from the employer indicating the details of retirement on superannuation or otherwise, retirement benefits, employment held and period of such employment with the employer, is attached with the application form:

Provided that the retired personnel of Defence Services (excluding Civilian Defence employees) shall be eligible to open an account under this Scheme on attaining the age of fifty years subject to the fulfilment of other specified conditions.

(2) The successor or legal heir of a deceased serving personnel shall not be eligible to deposit the terminal benefits of such deceased personnel under this Scheme.

(3) An account holder may operate more than one account under this Scheme subject to the condition that the deposits in all the accounts taken together shall not exceed the maximum limit as specified under paragraph 4.

(4) An individual may open an account in individual capacity, or jointly with spouse.

(5) In case of a joint account, the age of the first account holder shall be considered to determine the eligibility to open the account and there shall be no age-limit for the second applicant.

(6) The whole amount of deposit in a joint account shall be attributable to the first account holder only.

(7) Both the spouses can open single account and joint accounts with each other with the maximum deposit of upto fifteen lakhs rupees in each account provided both are individually eligible to open the account.

4. Deposit.- (1) The account shall be opened with a minimum deposit of one thousand rupees or any sum in multiples of one thousand rupees not exceeding fifteen lakh rupees:

Provided that the deposits in the account specified under clause (ii) of sub-paragraph (1) of paragraph 3, shall be restricted to the retirement benefits received, or fifteen lakh rupees, whichever is lower.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, "retirement benefits" means any payment due to the account holder on account of retirement on superannuation or otherwise and includes Provident Fund dues, retirement or superannuation gratuity, commuted value of pension, cash equivalent of leave, savings element of Group Savings Linked Insurance Scheme payable by the employer on retirement, retirement-cum-withdrawal benefit under the Employees' Family Pension Scheme and ex-gratia payments under a voluntary or a special voluntary retirement scheme.

(2) There shall be only one deposit in the account.

(3) Where a deposit in excess to the ceiling specified under sub-paragraph (1) has been made, the accounts office shall, refund the excess deposit to the account holder immediately.

5. Interest on deposit.- (1) The deposit made under this Scheme shall bear interest at the rate of 8.6 per cent. per annum.

(2) Interest shall be payable from the date of deposit to 31st March/30th June/30th September/31stDecember on first working day of April/July/October/January, as the case may be, in the first instance and thereafter interest shall be payable on first working day of April/July/October/January as the case may be.

(3) If so authorised by the account holder, interest payable on the due dates as specified in sub-paragraph (2), shall be credited to the account holder's savings account.

(4) If the interest payable every quarter is not claimed by an account holder, such interest shall not earn additional interest.

(5) Any amount of interest in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.

(6) The excess amount referred to in sub-paragraph (3) of paragraph 4, shall carry interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account and such interest shall be payable from the date of deposit of excess amount to the date of refund.

(7) In case of an account extended after maturity under sub-paragraph (1) of paragraph 8, the deposit in such account shall earn interest at the rate applicable to the Scheme on the date of maturity.

(8) Interest at the rate applicable to the Post Office Savings Account shall be payable on deposits in the account which are not extended as per provision of paragraph 8 or closed on maturity or extended maturity.

(9) The interest for any period less than a quarter (as specified under the Scheme) shall be calculated as per the following formula:-

Number of days in the period x Interest for the quarter

Total number of days in the quarter

(10) If the interest is not claimed on the due date, it can be claimed on any date after the due date.

6. Premature closure of account.- (1) The account holder may withdraw the deposit and close the account at any time on an application in Form-2 subject to the following conditions, namely:-

(i) In case, the account is closed before one year after the date of opening of account, interest paid on the deposit in the account shall be recovered from the deposit and the balance shall be paid to the account holder.

(ii) In case the account is closed after the expiry of one year but before the expiry of two years from the date of its opening, an amount equal to one and a half per cent. of the deposit shall be deducted and the balance shall be paid to the account holder.

(iii) In case the account is closed on or after the expiry of two years from the date of its opening, an amount equal to one per cent. of the deposit shall be deducted and the balance shall be paid to the account holder.

(2) The account holder availing the facility of extension of account under sub-paragraph(1) of paragraph 8, may withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of one year from the date of extension of the account without any deduction.

(3) In case of premature closure, interest on the deposit shall be payable upto the date preceding the date of premature closure after deduction of penalty as specified in sub-paragraph(1).

(4) Multiple withdrawals from an account shall not be permitted.

7. Closure of account.- (1) The deposit made at the time of opening of the account shall be paid on or after the expiry of five years or after the expiry of eight years where account was extended under paragraph 8 from the date of the opening of the account, on an application in Form-3.

(2) In case of death of the account holder before maturity or extended maturity, the account shall be closed and deposit refunded on an application in Form-3 along with interest as applicable to this Scheme till the date of the death of the account holder, to the nominee or the legal heirs, as the case may be:

Provided that interest on the deposits in the account shall earn interest at the rate applicable on Post Office Savings Account from the date of death of the account holder till the date of final closure of the account:

Provided further that in case of a joint account, or where the spouse is the sole nominee, the spouse may continue the account on the same terms and conditions as specified under this Scheme, if the spouse meets eligibility conditions under the Scheme on the date of death of the account holder.

(3) Where both the spouses have opened separate account or accounts under this Scheme and either of the spouses dies during the currency of such account or accounts, then such account or accounts standing in the name of the deceased account holder shall not be continued in accordance with the first proviso of sub-paragraph (2) and shall be closed.

8. Extension after maturity.- (1) The account holder may extend the account for a further period of three years by making an application in Form-4 within a period of one year from the date of maturity.

(2) The extension of the account under sub-paragraph (1) shall be deemed to have been made from the date of maturity irrespective of the date of application.

(3) Extension of an account under sub-paragraph (1) shall be available only once.

(4) The account holder may close the account any time after one year from the date of extension of account without any deduction under sub-paragraph (1) of paragraph 6.

9. Application of General Rules.- The provisions of General Rules shall, so far as may be, apply in relation to matters for which no provisions have been made in this Scheme.

10. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions in this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 3]

(Application for opening an account)

То

The Postmaster/Manager

.....

Paste photograph of applicant/s

Sir,

I/We(Applicant/s) hereby apply for opening of an account under Senior Citizens' Savings Scheme in your Post Office/Bank.

52	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—			[PART II—SEC. 3(i)]	
I/We		tender		herewith	Rs/-
) posit. My/our particulars are as u	
1.		Account holder			
	Husband/Fath	er /mother's nan	ne or Gu	ardian appointed by Court	
	Date of Birth			······	
				(DD / MM / YYY	ΎΥ)
		words	5)	(In	
2.	Name of Seco	ond Account hold			
		er /mother's nan			
	Date of Birth			(DD / MM / YY)	
				(In	
2	A 11 NT				
3.	Aadnaar Num	ber (a) of first at (b) of second			
4.	Permanent Ac	count Number	(PAN)	(a) of first account holder(b) of second account holder	
5.	Present Addre	ess			
	D				
	Permanent Ac	ldress			
6.	Contact detail	S		Telephone Number	
				Email ID	
7.	Type of Acco	unt		Single or Joint	
8.	Details of pro	of of date of Bir	th of acco	ount holder/s	
	 a)	Certificate No).		
	b)	 Date of Issue			

	c)	Issuing authority	
9.	Details of other	KYC documents attached	1. Proof of identification
			2. Address proof
The f	following docum	ents are accepted as valid doc	uments for the purpose of identification and address

(The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;

1. Specimen Signatures

1 (Name)	3.,
1	3.,

I declare that I/we are resident citizen of India and undertake to inform the account office of any change in our residency/citizenship status in future.

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion Rules, 2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Details of my/our other accounts under the Scheme are as under:

S.No.	Name of Scheme	Date of	Amount	Customer	Account	Name of Post
		opening of	deposited	Identification	number	office/Bank
		account		Number		
1.	Senior Citizen					
	Savings Scheme					
	(SCSS)					

Signature or thumb impression of guardian

Date:....

Nomination

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee (optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

	Serial No.(s)	specified	above is/are minor(s), I
appoint			
Shri/Smt/Kumari		S/o,D/o,W/o	
	Address		
			to receive the sum due
		g the minority of the nominee	
1. Signature of witness			
Name & Address			
2. Signature of witness			
Name & Address			

Signature or thumb impression of account holder/s

Place:

Date:

For use of Post Office/Bank

The account has b	been opened in the na	ame of	on	with
initial deposit of Rs.	~ ·····	under		(name
of the scheme) vide A	ccount No		dated	
Customer identification	n Number			
Nomination	has	been	registered	vide
No	dated	d	•••••	

Signature and seal of competent authority.

FORM -2

[See sub-paragraph (1) of paragraph 6] (Application for premature closure of account)

	(Application for premature closure of account)
To,	
The Pos	stmaster/Manager
Sir,	
1.	I/we wish to prematurely close my/our Account No having balance of
	(Rupees Only) opened under Senior Citizens' Savings
Scheme	e and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty, as per details given below:-
	Please Credit the amount to my SB Account no standing
at	(Name of Account office).
	or
Please i	issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)

3. I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under Senior Citizens' Savings Scheme have been complied with.

Necessary documents as applicable are attached as under:-

1.

2.

Date:-

Signature or thumb impression of account holder/s

(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

For office use only

Payment detail

(In figures)
Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by account holder/ messenger)

 Received Rs ._____ (In figures)_____ (in words) By cash/cheque/DD bearing

 No.)_____ dated____/by
 transfer
 to
 Account

 No______.

Date:

Signature/thumb impression of Depositor/s

FORM – 3

[See sub-paragraph (1) of paragraph 7]

(Application for closure of account)

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

Signature or thumb impression of account holder/s

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

	Paym	ent Order	
	(For off	ice use only)	
			Date
	Pavn	ient detail	
Principal amount Rs	-		
Timelpar amount No			
(+) Interest due Rs.			-
(-) Recovery of overpaid interest Rs			_
Deduction if any Rs			_
•			-
Total Amount due De			
Total Amount due Rs			
Pay Rs	(in figurers)		(in words)
Date			
			Signature of Postmaster/Manager
	Ac	quittance	
		-	
		ed by depositor)	
Received Rs	_(In figures)	(in w	vords) By cash/cheque/DD bearing Account No
	dated		
Date:		Signature/thur	nb impression of account holder/s
	FC	DRM - 4	
	[See sub-paragra	ph (1) of paragraph 8]
	(Application for	extension of account)	
To,			
The Postmaster/Manager			
-			
•••••			
•••••	•••••		
Sir,			
1. I/we		am/are acc	count holders in Account
Number	under Senior Citi	zens' Savings Scheme	count holders in Account in your office. The said account for payment IOVa baraby request
was opened on			_for payment. I/We hereby request me rule) from the date of maturity
of the above said account.	tor a further period of t	mee years (as per sche	me rule) from the date of maturity
	ood the terms and con	ditions applicable to t	he account during the period of

2. I/We have understood the terms and conditions applicable to the account during the period of extension under the said Scheme as amended from time to time and shall abide by them.

3. I/we continues to be resident citizen/s of India on the date of commencement of block period of three years.

Date

Signature of the account holder/s

Place (Name and address)

For the use of Accounts Office

Necessary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.

Date

Signature of Postmaster/Manager Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 917(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत सर्वधन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात:-

1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होनी।

2 परिभाषा (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षिप्त न हो

(क) "खाता" से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है

(ख) "खाता धारक" वह व्यक्ति अभिप्रते है जिसके नाम से खाता धारित है

(ग) "अधिनियम" से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रते है

(घ) "प्ररुप" से इस योजना से सलंग्न प्रारुप अभिप्रते है।

(ड) "साधारण नियम" से सरकार बचत संवर्धन साधारण नियम 2018 अभिप्रते है।

(च) "वर्ष" से खाते में पहले निक्षेप की तारीख से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रते है।

(2) उन शब्दो और पदो के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नही है वही अर्थ होगे जो उस अधिनियम और साधारण नियमों में है।

3 खाते का खोला जाना- (1) खाता, खाता कार्यालय में प्ररुप- 1 में आवेदन पर :-

(i) किसी एकल व्यस्क द्वारा;

(ii) तीन तक संयुक्त व्यस्क द्वारा;

(iii) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(iv) किसी अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति की और से सरंक्षक द्वारा खाता खोला जा सकेगा;

(2) कोइ व्यक्ति इस के अधीन अधिकतम सीमा के अध्याधीन अधिकतम निक्षेप सीमा जो पैरा 4 के उप पैरा (2) में यथा विहित की गई हैं एकल खाता या संयुक्त खाते एक या एक से अधिक खोल और परिचालित कर सकेगा।